चबूतरा एवं दुकानों के आबंटन के लिए पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की सूची तैयार, निगम मुख्यालय के सूचना पटल पर किया गया चस्पा

भिलाई नगर/ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं महिला समृद्धि बाजार योजना के तहत खाली पड़े चबूतरा एवं दुकानों को विभिन्न व्यवसाय के लिए निगम आबंटन करने जा रहा है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे और आवेदन के लिए निर्धारित समय नियत कर आवेदन प्राप्त करने योजना विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था इसके साथ ही हितग्राहियों को अवसर देने के लिए कई दफा आवेदन की तिथियों को बढ़ाया गया। उल्लेखनीय है कि निगम के कई क्षेत्रों में दुकानें एवं चबूतरा खाली पड़ी हुई है। पहले के आबंटिती हितग्राहियों ने नियमित रूप से किराया जमा नहीं किया। किराया जमा नहीं होने के कारण कई वर्षों से आबंटन निरस्तीकरण की कार्रवाई चलती रही परंतु राजस्व की हानि होते देख निगम आयुक्त ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को पूर्ण करवाया तब जाकर आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो पाई है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 60 दुकान एवं 17 चबूतरा तथा महिला समृद्धि बाजार योजना के तहत 57 दुकानों को आबंटित किया जाना है। जिसके लिए विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। योजना के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन ने बताया कि आवेदन प्राप्त करने के बाद अब पात्र और पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार हो गई है, जिसे सूचना पटल पर चस्पा कर दिया गया है। इसके साथ ही दावा-आपत्ति के लिए सात दिवस का समय नियत किया गया है। निर्धारित तिथि के समाप्त होने पर कोई भी दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगा। दुकान का आबंटन लाटरी पद्धति से होगा तथा दुकान आबंटन नहीं होने की स्थिति में मूल रसीद के साथ लॉटरी दिनांक से सात दिवस के भीतर विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर अमानत राशि वापस ले सकेंगे।

134 चबूतरा एवं दुकानों के लिए प्राप्त हुए 64 आवेदन प्राप्त आवेदनों पर एक नजर डालें तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की कुल निर्मित 347 दुकाने हैं जिसमें से 287 आवंटित है और 60 रिक्त है। 60 रिक्त दुकानों के लिए 54 लोगों ने आवेदन दिया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत चबूतरा कुल 176 निर्मित है जिसमें से 159 आवंटित है और 17 रिक्त है। 17 रिक्त चबूतरा के लिए 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी तरह महिला समृद्धि बाजार योजना के कुल निर्मित 100 दुकानें हैं जिसमें से 43 आवंटित है और 57 रिक्त है। रिक्त 57 दुकानों के लिए आवेदन मंगाई गई थी जिसमें से केवल 8 ने आवेदन किया है। इस तरह कुल 64 लोगों ने चबूतरा एवं दुकान के लिए आवेदन दिया है।